



2026:AHC:19821

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2863, वर्ष 2025

सत्य नारायण सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : के.सी. मिश्र, विश्वनाथ प्रताप मिश्र
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : अचल सिंह, अशोक कुमार सिंह, सी.एस.सी.,
शिखर प्रताप सिंह, शिव सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आज ही के दिन याचिका में तहसीलदार, तहसील राजापुर, चित्रकूट को प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.सी. मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर सी.एस.सी. श्री एम.एन. मिश्रा, निजी प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार सिंह, निजी प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सिंह, और प्रतिवादी-भूमि प्रबंधन समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह को सुना गया।

3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"A- परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह ग्राम सिरावलमाफी, तहसील- राजापुर, जिला- चित्रकूट में स्थित तालाब की भूमि संख्या 3512 पर निजी प्रतिवादियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित समय-सीमा के भीतर हटवाना सुनिश्चित करे; अन्यथा, बड़ी संख्या में लोगों/ग्रामीणों के हित पूरी तरह से प्रभावित होंगे, जिनकी किसी भी प्रकार से भरपाई नहीं की जा सकती।"

B- और इसके अतिरिक्त, कृपया एक परमादेश की प्रकृति की रिट जारी करने की कृपा करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाए कि वह ग्राम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सिरावलमाफ़ी, तहसील- राजापुर, ज़िला- चित्रकूट में स्थित तालाब संख्या 3512 के स्वरूप और प्रकृति को वैसा ही बनाए रखे/पुनर्स्थापित करे जैसा वह पहले था; अन्यथा, बड़ी संख्या में लोगों को अपूरणीय क्षति और हानि उठानी पड़ेगी।

4. इस न्यायालय ने 25.9.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रतिवादियों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन तालाब की ज़मीन पर अवैध निर्माण करने से पक्षों को रोकने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट राजस्व अभिलेखों में दर्ज उन सार्वजनिक भूमियों की पहचान करने के लिए, जिन पर अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, सक्षम अधिकारियों तथा पेशेवर सर्वेक्षकों की एक सर्वेक्षण/निरीक्षण टीम का तत्काल गठन करेंगे।

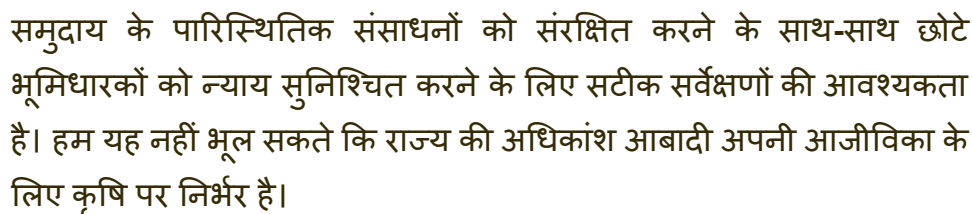
चकबंदी और भू-राजस्व मामलों में तालाबों और ज़मीनों का सर्वेक्षण एक बार-बार सामने आने वाला मुद्दा है। समुदाय और राज्य की पारिस्थितिक संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए भी सटीक सर्वेक्षण आवश्यक हैं। सर्वेक्षण करने के लिए 'टोटल स्टेशन' विधि और 'ग्लोबल पोजिशनिंग' विधियों को सटीक विधियों के रूप में मान्यता दी जा रही है।

राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक उपकरण और साधन राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। राजस्व विभाग इस बात की जाँच करेगा कि ऐसे सर्वेक्षणों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण और साधन उपलब्ध हैं या नहीं। राज्य सरकार इस बात की व्यवहार्यता पर भी विचार कर सकती है कि विभिन्न जिला प्रशासनों का ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए इन उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित कराई जाए।

यू.पी. सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव इस संबंध में एक हलफनामा दायर करेंगे, यह देखते हुए कि इस मुद्दे के पूरे राज्य पर असर पड़ सकते हैं। राजस्व विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि सर्वेक्षण करने और सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी जिलों में हमेशा उपलब्ध रहें। इसके अलावा, सटीक सर्वेक्षण करने के लिए नवीनतम तकनीकी उपकरण/मशीनरी भी जिला स्तर पर सक्षम अधिकारियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हलफनामे में इस दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण दिया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इस न्यायालय के दिनांक 25.9.2025 के आदेश के अनुपालन में, प्रधान सचिव का व्यक्तिगत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. माननीय अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने व्यक्तिगत हलफनामे में दिए गए बयानों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि उन व्यक्तियों के खिलाफ चार मामले दर्ज किए गए हैं, जो विचाराधीन भूखंडों पर अवैध कब्जे में पाए गए थे; इन मामलों के नंबर हैं: T202507190404458, T202507190404459, T202507190404457 और T202507190404460। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उन व्यक्तियों द्वारा किया गया अस्थायी अतिक्रमण अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित मामलों के निपटारे के बाद, संबंधित प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संबंधित प्राधिकारी को यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएं।

8. निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रस्तुत याचिका जनहित में दायर नहीं की गई है, अतः इसे खारिज किया जाना चाहिए।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 9/तहसीलदार, राजापुर, चित्रकूट, U.P. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत चल रही उपर्युक्त कार्यवाही को, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार, शीघ्रता से और तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

28 ਜਨਵਰੀ 2026

सी. प्रकाश

અસ્વીકરણ

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"